नियम 53 : पुनरीक्षित कर बीजक और प्रत्यय या नामे टिप्पण

(1) धारा 31 में निर्दिष्ट पुनरीक्षित कर बीजक [1][.....] में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :

(क) ''पुनरीक्षित बीजक'' शब्द, जहां लागू होता है वहां उसके स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा;

(ख) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर;

(ग) [2]**[.....]**

(घ) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृखंलाओं में 16 से अधिक करैक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिन्ह–हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमशः ''–'' और ''/'' के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा;

(ड.) दस्तावेज जारी करने की तारीख;

च) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है;

(छ) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता तथा राज्य और उसके कूट सहित परिदान का पता, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो;

(ज) यथास्थिति, तत्स्थानी कर बीजक या प्रदाय के बिल की क्रम संख्या;

(झ) [3]**[.....]**

(ञ) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर।

[4]**[(1क)** धारा 34 में निर्दिष्ट प्रत्यय या नामे टिप्पण में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होगी, अर्थात्:

(क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवा कर पहचान नंबर;

---

1 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा ''और धारा 34 में निर्दिष्ट प्रत्यय या नामे टिप्पण'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

2 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा खंड (ग) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**(ग)** दस्तावेज की प्रकृति("

3 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा खंड (झ) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**(झ)** कराधेय मालों या सेवाओं का मूल्य, कर की दर तथा यथास्थिति, प्रत्यय किए गए या प्राप्तिकर्ता के नामे डाले गए कर की रकम(और"

4 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा उप–नियम (1क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

(ख) दस्तावेज की प्रकृति;

(ग) एक सतत् क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में सोलह से अधिक करेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिन्ह– हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमशः ''–'' और ''/'' के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा;

(घ) दस्तावेज जारी करने की तारीख;

(ड.) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है;

(च) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता तथा राज्य और उसके कूट सहित परिदान का पता, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो;

(छ) यथास्थिति, तत्स्थानी कर बीजक या प्रदाय के बिल या प्रदाय की क्रम संख्या;

ज) कराधेय मालों या सेवाओं का मूल्य, कर की दर तथा यथास्थिति प्रत्यय किए गए या प्राप्तिकर्ता के नामे डाले गए कर की रकम; और

प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर।**]**

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे उसे जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की तारीख से पूर्व किसी तारीख से रजिस्ट्रीकृत अनुदत्त किया गया है, वह रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से प्रभावी होने वाली कालावधि के दौरान की गई कराधेय आप्रदायियों के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तक पुनरीक्षित कर बीजक जारी कर सकेगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी प्राप्तिकर्ता को, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, को ऐसी अवधि के दौरान की गई सभी कराधेय आप्रदायियों के संबंध में एकीकृत पुनरीक्षित कर बीजक जारी कर सकेगा :

परन्तु यह और कि अंतराज्य आप्रदायियों की दशा में, जहां प्रदाय का मूल्य दो लाख पचास हजार रूपए से अधिक नहीं है, एकीकृत पुनरीक्षित बीजक उस राज्य में स्थित सभी प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है पृथक् रूप से जारी किया जा सकेगा।

(3) धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदेय किसी कर के लिए जारी कोई बीजक या नामे टिप्पण में स्पष्ट रूप से ''**इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञेय नहीं**'' शब्द अंतर्विष्ट होंगे।